संख्या-3/2017/2505/सैंतीस-2-2016-1(13)/2014टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-03 फरवरी, 2017

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1655/सा0-2/27/309/भाग-दो/2015-16, दिनांक-02.11.2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-50/2016/916/सैंतीस-2-2016-1(24)/2015, दिनांक-27.04.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोत्तरी होने के कारण गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-27/2016/736/सैंतीस-2-2016-1(13)/2014टीसी, दिनांक-22.03.2016 द्वारा डी.जी.एस.एण्ड डी. दरों पर स्वीकृत 03 टाटा सूमो गोल्ड सीएक्स पीएस बीएस-4 जीपों हेतु प्रति वाहन रू0-18,544.60 की दर से अन्तर की धनराशि के भुगतान हेतु कुल रू0-55,634/- (रूपये पचपन हजार छः सौ चौंतीस मात्र) का व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. प्रश्नगत वाहनों के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-27/2016/736/सैंतीस-2-2016-1(13)/2014टीसी, दिनांक-22.03.2016 में अंकित निर्देशों तथा वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त भुगतान परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक-12 नवम्बर, 1986 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अद्यतन डी.जी.एस.एण्डडी. दरों पर परिवहन विभाग का यथावश्यकता परामर्श प्राप्त करते हुए तथा दरों की वैधता सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय-14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-ई-2-26/दस-2017, दिनांक-17.01.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-3/2017/2505(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।